झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०—08 / ज०सं०(नि०)ग्रा०—08—16 / 2016 .... / राँची, दिनांक ....

आदेश

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक— 2619 दिनांक— 26.10.2016 द्वारा श्री कृष्ण चन्द्र सिंह (ID-3232), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद् राँची के विरूद्ध मनरेगा योजनाओं में अनियमितता बरतने के आरोप के लिए आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') विभागीय कार्यवाही के अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त आरोप की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक— 1052 दिनांक— 23.02.2017 द्वारा श्री कृष्ण चन्द्र सिंह के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2016 के नियम—16 एवं 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. जाँच पदाधिकारी के पत्रांक— 140 दिनांक— 16.05.2018 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित नहीं बताया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं पाया गया कि जिला अभियंता, जिला परिषद्, राँची के लगभग 3 ½ महीना के प्रभार के दौरान श्री सिंह द्वारा विवादित योजना का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नहीं किया गया जो श्री सिंह द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। अतएव संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ श्री सिंह से विभागीय पत्रांक— 3041 दिनांक— 16.07.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई —

(i) निन्दन

4. श्री कृष्ण चन्द्र सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण में कहा गया कि विवादित योजना से उनका कोई संबंध नही है। श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं पाया गया कि आरोप लगाने वाले पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा खुद लिखकर दिया गया है कि — "इस प्रकार प्रभार ग्रहण करने से जाँच के समय तक श्री कृष्ण चन्द्र सिंह, लगभग तीन माह प्रभार में रहे है। योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति इनके पूर्ववर्त्ती जिला अभियंता द्वारा प्रदान की गई है, ऐसी स्थिति में इनके विरूद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दोष सिद्ध नहीं होता है।"

5. सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोप लगाने वाले पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कृष्ण चन्द्र सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद् राँची को एतद द्वारा आरोप मुक्त किया जाता है तथा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

6. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / —
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 4083 राँची / दिनांक 26/09/18

प्रतिलिपि :— उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य मनरेगा कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / उपायुक्त, राँची / श्री कृष्ण चन्द्र सिंह, उप निदेशक (वै०), गुण—नियंत्रण प्रमण्डल, धुर्वा, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/09/2018

(विनय कुमार)
सरकार के अंवर सचिव